संख्या-347/2025/769/25-27-सिं0-4/001-58(डब्ल्यू)/2008टी0सी0

प्रेषक,

रमा कान्त वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक:18 जुलाई, 2025**

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूंजीलेखा के अन्तर्गत सर्वेक्षण मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर प्रमुख अभियन्ता, आय-व्ययक अनुभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-1188/आई0बी0/सर्वे0/2025-26, दिनांक 19.06.2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या-94 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 4701-80-005-10-1014-42 के अन्तर्गत सर्वेक्षण एवं अनुसंधान मद में प्राविधानित धनराशि रू0 4000.00 लाख के सापेक्ष रू0 1080.64 लाख (रूपये दस करोड़ अस्सी लाख चौंसठ हजार मात्र) की धनराशि निम्न तालिका के स्तम्भ-4 के अनुसार अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रमांक	संगठन का नाम	कराये जाने वाले मुख्य-मुख्य कार्यो का विवरण/सार	प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4
1	मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन), लखनऊ	सर्वेक्षण कार्य हेतु	815.00
2	मुख्य अभियन्ता (नलकूप दक्षिण), कानपुर	सर्वेक्षण कार्य हेतु	55.00
3	मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक), लखनऊ	जनपद उन्नाव से जौनपुर तक वर्ष 2009 से 2024 के मध्य सई नदी के दोनों तरफ 02 कि0मी0 तक Flood Inundation की स्थिति से संबंधित मानचित्र हार्ड कापी एवं LPG Formt (AI Size) हेतु /सई नदी के न्यूनतम पर्यावरण प्रवाह मूल्यांकन कार्य हेतु/सई नदी के फ्लड प्लेन जोन का निर्धारण किये जाने हेतु।	77.64
4	अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केन-बेतवा लिंक नहर (निर्माण) झांसी	सर्वेक्षण कार्य हेतु	85.00
5	सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध, लखनऊ	सर्वेक्षण कार्य हेतु	18.00
6	नलकूप मध्य, लखनऊ	सर्वेक्षण कार्य हेतु	10.00
7	रामगंगा, कानपुर	सर्वेक्षण कार्य हेतु	20.00
		कुल योग-	**1080.64**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य हेतु उक्त संगठनों को अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों का भुगतान तथा व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण-पत्र शासन को समयान्तर्गत अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित बी0एम0-8 प्रपत्र मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा संकलित कर उपलब्ध कराते हुए कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे व प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत/अनुमोदित प्रयोजन पर ही करने का दायित्व कार्यकारी खण्ड के सम्बन्धित अभियन्ताओं एवं सम्बन्धित पर्यवेक्षकीय अभियन्ताओं का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये **10,80,64,000 (** रुपये दस करोड़ अस्सी लाख चौंसठ हजार मात्र **)** को चालू वित्तीय वर्ष **2025-26** के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या **094** लेखा शीर्षक **4701800051014** सम्बद्ध कार्य मानक मद **42** अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-**1** के कार्यालय ज्ञाप संख्या-**6/2025/**बी-**1-352/**दस-**2025-231/2025,** दिनाँक- **27-**मार्च**, 2025** में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव ।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
6- मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन/नलकूप दक्षिण/शारदा सहायक/अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी केन-बेतवा लिंक नहर (निर्माण)/सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध/नलकूप मध्य/रामगंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ/कानपुर/झांसी ।
7- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
8- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ, कानपुर, झांसी ।
9- अनु सचिव (लेखा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8
11- नियोजन अनुभाग-3
12- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9
13- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
चन्द्र भूषण
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in